"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."




पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 283 ]　　रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 अक्टूबर 2011—आश्विन 20, शक 1933

### विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

**क्रमांक 7291/डी. 196/21-अ/प्रारू./छ. ग./11.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30-09-2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.**

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,**
**के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.**

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 23 सन् 2011)

# छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011

## विषय-सूची

**खण्ड :**

## छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 23 सन् 2011)

# छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011

**राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, लोक प्राधिकारियों अथवा अभिकरणों द्वारा नियत समय के भीतर नागरिकों को कतिपय लोक सेवाओं का प्रदाय करने, तथा व्यतिक्रम की दशा में ऐसी सेवाओं के संदाय के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के दायित्वों का निर्धारण करने तथा उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

**संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ तथा लागू होना.**

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे.

(4) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ शासन के कार्यों के संबंध में किन्हीं सिविल सेवाओं अथवा पदों पर नियुक्त व्यक्तियों, स्थानीय निकायों, लोक प्राधिकारियों या अभिकरणों जो शासन के स्वामित्व, नियंत्रण में हैं या सारवान रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त हैं, को लागू होगा.

**परिभाषाएं.**

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ;—

(क) "अपीलीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, शासन, स्थानीय निकाय, लोक प्राधिकारी या अभिकरणों द्वारा, यथास्थिति, अधिसूचित कोई अधिकारी तथा जिसमें इस अधिनियम के अधीन किसी सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील सुनने की शक्ति निहित हो;

(ख) "सक्षम अधिकारी" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन शासन, स्थानीय निकाय, लोक प्राधिकारियों या अभिकरण द्वारा, यथास्थिति, इस प्रकार अधिसूचित कोई अधिकारी तथा जो लोक सेवा प्रदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा कारित व्यतिक्रम या विलंब के लिए परिव्यय अधिरोपित करने हेतु सशक्त किया गया हो;

(ग) "विभाग" से अभिप्रेत है, शासन का विभाग या स्थानीय निकाय, प्राधिकारी या अभिकरण का कक्ष, प्रभाग, शाखा, कार्यालय या संघटक इकाई, यथास्थिति, जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो;

(घ) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

(ङ) "स्थानीय निकाय" से अभिप्रेत है एवं उसमें सम्मिलित है, कोई प्राधिकारी, नगरपालिका, पंचायत या कोई अन्य निकाय, जिसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर लोक सेवा प्रदाय किये जाने के लिये विधि द्वारा तत्समय निहित किया गया हो, या जो उसके विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र में ऐसी सेवाओं का नियंत्रण, प्रबंधन या विनियमन करता हो;

(च) "लोक सेवा" से अभिप्रेत है तथा इसमें सम्मिलित है, धारा 3 के अधीन अधिसूचित नागरिकों से संबंधित लोक सेवायें;

(छ) "अधिसूचना" तथा "अधिसूचित" से अभिप्रेत है, जहां संदर्भ से इस प्रकार अपेक्षित है, राजपत्र में [illegible] सूचना;

(ज) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

(झ) "लोक प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वशासित संस्था जो छत्तीसगढ़ राज्य के विधान मण्डल द्वारा बनाई गयी किसी विधि द्वारा स्थापित या गठित या शासन द्वारा जारी अधिसूचना या जारी आदेश द्वारा गठित हो; तथा इसमें सम्मिलित हैं :—

(एक) शासन के स्वामित्व, नियंत्रण या सारवान रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त कोई निकाय;

(दो) शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर, सारवान रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त कोई अशासकीय संगठन; तथा

(तीन) कोई संगठन या निगमित निकाय जो संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन यथा परिभाषित "राज्य" के अभिकरण के रूप में अपनी क्षमता में छत्तीसगढ़ राज्य में लोक सेवा प्रदाय कर रहा हो;

(ञ) "नियम" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन शासन द्वारा बनाये गये तथा इस प्रकार अधिसूचित किये गये नियम;

(ट) "नियत समय" से अभिप्रेत है, लोक सेवा प्रदाय करने के लिये या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील के निर्णय के लिये इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचित, अधिकतम समय.

**नियत समय में लोक सेवा प्राप्त करने का अधिकार.**

3. (1) प्रत्येक व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित नियत समय के भीतर, छत्तीसगढ़ राज्य में, लोक सेवा प्राप्त करने का अधिकार होगा.

(2) प्रत्येक आवेदक जो नियत समय के भीतर लोक सेवा प्राप्त करने में असफल रहता है, अपने आवेदन के संबंध में, धारा 4 की उप-धारा (4) के अधीन यथा उपबंधित परिव्यय, ऐसी रीति से प्राप्त करने का हकदार होगा जो विहित की जाए.

**नियत समय में लोक सेवा प्रदाय करने का दायित्व, परिव्यय का अधिरोपण, वसूली एवं भुगतान.**

4. (1) प्रत्येक विभाग इस अधिनियम के प्रारंभ होने के तिथि से लोक सेवा प्रदान करने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति को पदाभिहित करेगा तथा ऐसे पदाभिहित करने के तथ्य को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये विभाग के किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा.

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट लोक सेवा प्रदाय करने के लिये उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, धारा 3 के अधीन जारी अधिसूचना के अनुसार सेवायें प्रदाय करेगा.

(3) लोक सेवा के लिये प्रत्येक आवेदन पर सेवा प्रदाय करने के लिये उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति या विभाग द्वारा, यथास्थिति, अभिस्वीकृति प्रदाय की जाएगी तथा प्रत्येक आवेदक ऐसी रीति में अपने आवेदन की स्थिति प्राप्त करने का हकदार होगा, जैसी कि विहित की जाये.

(4) लोक सेवा प्रदाय करने के लिये उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति जो निश्चित समय के भीतर ऐसी सेवा प्रदाय करने में असफल रहता है, वह विलंब की कालावधि के दौरान, यदि कोई हो, प्रत्येक दिन के लिये एक सौ रुपये की दर से जो अधिकतम एक हजार रुपये तक हो सकेगा, परिव्यय भुगतान करने के लिये दायी होगा, जो ऐसी सेवा प्राप्त करने में असफल रहने पर लोक सेवा के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को भुगतान करने के लिए उससे वसूली योग्य होगा :

परन्तु, लोक सेवा प्रदाय करने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति से परिव्यय तब तक वसूल नहीं किया जायेगा, जब तक कि उस पर ऐसी रीति में, सूचना की तामील नहीं की गई हो तथा सक्षम अधिकारी द्वारा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न किया गया हो, जैसी कि विहित की जाये :

परन्तु यह भी कि, कोई परिव्यय वसूली योग्य नहीं होगा, जहां ऐसी सेवा के लिये किये गये आवेदन में कोई कमी हो तथा ऐसी कमी उप-धारा (3) में निर्दिष्ट अभिस्वीकृति में दर्शित की गई हो :

परन्तु यह और भी कि, ऐसा परिव्यय वसूली योग्य नहीं होगा, जहां सक्षम अधिकारी की राय में ऐसी सेवा प्रदाय करने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति के नियंत्रण से परे कारणों से लोक सेवा प्रदाय करने में विलंब हुआ हो.

(5) उप-धारा (4) के अधीन परिव्यय की वसूली तथा आवेदक को भुगतान की रीति ऐसी होगी, जैसी कि विहित की जाय.

5. प्रत्येक विभाग, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये ऐसे एक या एक से अधिक व्यक्तियों को सक्षम अधिकारी के रूप में अधिसूचित करेगा, जो लोक सेवा प्रदाय करने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति की श्रेणी से निम्न का न हो. सक्षम अधिकारी की नियुक्ति.

6. कोई व्यक्ति लोक सेवा प्राप्त करने के लिए ऐसा आवेदन नहीं देगा जिसमें ऐसा तथ्य या जानकारी अंतर्विष्ट हो, जिसे वह जानता है या विश्वास करने के कारण है कि वह असत्य है, तथा वह जो ऐसा तथ्य या जानकारी प्रस्तुत करता है तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन आपराधिक कार्यवाही के लिए दायी हो सकेगा. लोक सेवा प्राप्त करने हेतु असत्य जानकारी प्रस्तुत करने पर दायित्व.

7. (1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित हो, प्रश्नाधीन आदेश की प्राप्ति से 30 दिवस की अनधिक अवधि के भीतर ऐसी रीति में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का हकदार होगा, जैसी कि विहित की जाय तथा अपीलीय प्राधिकारी अपील संस्थित होने के दिनांक से 45 दिवस की अधिकतम अवधि के भीतर अपील निराकृत करेगा, एवं अपील के निराकरण के दौरान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगा. अपीलीय प्राधिकारी का आदेश अंतिम एवं बाध्यकारी होगा. अपील का अधिकार.

(2) प्रत्येक विभाग उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिये अपीलीय प्राधिकारी के रूप में सक्षम अधिकारी की श्रेणी से अनिम्न, व्यक्ति को अधिसूचित करेगा.

(3) लोक सेवा प्रदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के संबंध में, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश की एक प्रति, ऐसी प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए जो उचित समझी जाए, ऐसे व्यक्ति पर प्रशासनिक या अनुशासनात्मक नियंत्रण रखने वाले विभाग को, उस व्यक्ति के कार्य निष्पादन से संबंधित दस्तावेजों में संधारित करने हेतु अग्रेषित की जाएगी.

8. इस अधिनियम के प्रावधान सेवा शर्तों, अनुशासनात्मक तथा वित्तीय नियमों और ऐसे अन्य सेवा नियमों तथा विनियमों जो कि लोक सेवा प्रदाय करने हेतु उत्तरदायी व्यक्ति को प्रवृत्त हों, के अतिरिक्त होंगे न कि अल्पीकारक. सेवा की शर्त समझा जाना.

9. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बना सकेगी. नियम बनाने की शक्ति.

(2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी अथवा इनमें से किन्हीं विषयों के लिए उपबंधित कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) आवेदक द्वारा लोक सेवा प्राप्त करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 3 के अधीन परिव्यय प्राप्त करने एवं अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (5) के अधीन उसका भुगतान आवेदक को करने की रीति;

(ख) लोक सेवा के लिये प्रस्तुत आवेदन की अभिस्वीकृति दिये जाने तथा उसकी स्थिति की जानकारी आवेदक द्वारा धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन प्राप्त किये जाने की रीति;

(ग) सूचना जारी करने की रीति, सक्षम अधिकारी द्वारा सुनवाई की प्रक्रिया तथा धारा 4 की उप-धारा (4) के अधीन परिव्यय के दायित्व का निर्धारण एवं उसकी वसूली की रीति;

(घ) अपील प्रस्तुत करने की रीति तथा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा धारा 7 के अधीन ऐसी अपील के निराकरण को शासित करने की प्रक्रिया;

(ङ) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है, या जो विहित किया जाय.

(3) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसे बनाये जाने के उपरान्त, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा.

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.

10. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है, तो राज्य सरकार, उसे आवश्यक और समीचीन प्रतीत होने वाले तथा इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले आदेश द्वारा, जो कि राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा, ऐसी कठिनाई दूर कर सकेगी :

परन्तु, ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की दो वर्ष की कालावधि का अवसान होने के उपरांत नहीं किया जायेगा.

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके बनाये जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.

**रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2011**

**क्रमांक 7291/डी. 196/21-अ/प्रारू./छ. ग./11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.**

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,**
**के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.**

CHHATTISGARH ACT
(No. 23 of 2011)

# THE CHHATTISGARH LOK SEWA GUARANTEE ACT, 2011

TABLE OF CONTENTS

**Sections**

CHHATTISGARH ACT
(No. 23 of 2011)

## THE CHHATTISGARH LOK SEWA GUARANTEE ACT, 2011

**An Act to provide for the delivery of certain public services to citizens by the State Government, local bodies, public authorities or agencies within the stipulated time, and to fix the liabilities of persons responsible for delivery of such services in the event of default and for matters connected therewith or incidental thereto.**

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows :—

Short title, extent, commencement and application.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh *Lok Sewa* Guarantee Act, 2011.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

(4) This Act shall apply to persons appointed to any civil services or posts in connection with the affairs of the Government of Chhattisgarh, local bodies, public authorities or agencies which are owned, controlled or substantially financed by the Government.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Appellate Authority" means an officer notified by the Government, local body, public authorities or agencies as the case may be, and invested with the power to hear appeals against the orders passed by any Competent Officer under this Act;

(b) "Competent Officer" means an officer so notified by the Government, local body, public authority or agency as the case may be, under section 5 of this Act, and empowered to impose cost for default or delay caused by the person responsible for delivery of *Lok Sewa;*

(c) "Department" means a department of the Government or a section, division, branch, office or constituent unit, or by whatever name called, of a local body, public authority or agency as the case may be;

(d) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(e) "Local body" means and includes any authority, municipality, panchayat or any other body, by whatever name called, for the time being invested by law to render *Lok Sewa* within the State of Chhattisgarh or to control, manage or regulate such services within a specified local area thereof;

(f) "*Lok Sewa*" means and includes citizen related public services notified under section 3;

(g) "Notification" and "Notified", where the context so requires, means and relate to a notification published in the official Gazette;

(h) "Prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;

(i) "Public authority" means any authority or body or institution of self governance established or constituted by any law made by the Legislature of the State of Chhattisgarh or constituted by a notification issued or order made

by the Government; and includes :—

(one) a body owned, controlled or substantially financed by the Government;

(two) a non-government organization substantially financed, directly or indirectly, by the funds provided by the Government; and

(three) an organization or body corporate in its capacity as an instrumentality of 'State' as defined under article 12 of the Constitution and rendering *Lok Sewa* in the State of Chhattisgarh.

(j) "Rule" means a rule made by the Government under this Act, and notified as such;

(k) "Stipulated time" means the maximum time, notified under Section 3 of this Act, to provide *Lok Sewa* or to decide the appeal by the appellate authority.

**Right to obtain *Lok Sewa* in stipulated time.**

3. (1) Every person shall have the right to obtain *Lok Sewa* in the State of Chhattisgarh, within the stipulated time as notified from time to time by the State Government, in accordance with the provisions of this Act.

(2) Every applicant who fails to obtain *Lok Sewa* within the stipulated time, shall be entitled to receive cost as provided under sub-section (4) of Section 4, in respect of his application, in the manner as may be prescribed.

**Liability to deliver *Lok Sewa* in stipulated time, imposition, recovery and payment of cost.**

4. (1) Every department shall designate the person(s) responsible for delivering *Lok Sewa* from the date of commencement of this Act, and the fact of such designation shall be displayed in some conspicuous part of the department for the information of general public.

(2) Every person responsible for delivering *Lok Sewa* referred to in sub-section (1) shall deliver such services in accordance with the notification under Section 3.

(3) Every application for *Lok Sewa* shall be acknowledged by the person responsible for delivering the service or by the department, as the case may be, and every applicant shall be entitled to obtain the status of his application in the manner as may be prescribed.

(4) Every person responsible for delivering *Lok Sewa* who fails to deliver such services within the stipulated time shall be liable to pay costs at the rate of one hundred rupees for each day during the period of delay, if any, subject to a maximum cost of one thousand rupees, which shall be recoverable from him towards payment to the person applying for *Lok Sewa* in respect of failure to obtain such service:

Provided that, no costs shall be recovered from the person responsible for delivering *Lok Sewa* unless he has been served with a notice and has been accorded a reasonable opportunity to be heard by the Competent Officer, in the manner as may be prescribed:

Provided further that, no costs shall be recoverable, where the application for such service is deficient in any manner and such deficiency has been indicated in the acknowledgment referred to in sub-section (3):

Provided also that, no costs shall be recoverable, where the delay in delivering such service is, in the opinion of the Competent Officer, owing to reasons beyond the control of the person responsible for delivering *Lok Sewa*.

(5) The manner of recovery of costs and payment to the applicant under sub-section (4) shall be as may be prescribed.

**Appointment of Competent Officer.**

5. Every department shall notify one or more persons, not below the rank of the person responsible for delivering *Lok Sewa*, as competent officer for the purposes of this Act.

**Liability for furnishing false information to obtain *Lok Sewa*.**

6. No person shall submit any application which contains any fact or information, which he knows or has reasons to believe to be false, to obtain any *Lok Sewa*, and he who furnishes such fact or information may be liable for criminal action under the law for the time being in force.

**Right of Appeal.**

7. (1) Any person who is aggrieved by an order passed by the Competent Officer under this Act, shall be entitled to file an appeal before the Appellate Authority, in the manner as may be prescribed, within a period not exceeding thirty days from the receipt of the impugned order; and the Appellate Authority shall decide the appeal within a maximum period of 45 days from the date of institution of the appeal and while deciding the appeals shall follow the principles of natural justice. The order of the appellate authority shall be final and binding.

(2) Every department shall notify a person not being below the rank the Competent Officer, to be the Appellate Authority for the purposes of sub-section (1).

(3) A copy of the order made by the Appellate Authority, in respect of a person responsible for delivering *Lok Sewa*, shall be forwarded to the department having administrative or disciplinary control over such person for being maintained in the records pertaining to the work related performance of the person for taking such administrative action as deemed appropriate by it.

**Deemed service conditions.**

8. The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the service conditions, the disciplinary and financial rules and such other service rules and regulations as are applicable to the person responsible for delivering *Lok Sewa*.

**Power to make rules.**

9. (1) The Government may, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

(a) the manner in which cost for failure to obtain *Lok Sewa* is to be received by the applicant under section 3 and its payment is to be made to the applicant under sub-section (5) of Section 4;

(b) the manner in which an application for *Lok Sewa* is to be acknowledged and its status is to be obtained by the applicant under sub-section (3) of Section 4;

(c) the manner of issuing notice, the procedure for hearing by Competent Officer, and the manner of fixing the liability of cost, and its recovery under sub-section (4) of Section 4;

(d) the manner of preferring an appeal and the procedure governing disposal of such appeal by the appeallate authority under section 7;

(e) any other matter which is required to be, or may be prescribed.

(3) Every rule made under this Act by the Government shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the Legislative Assembly of the State.

**Power to remove difficulties.**

10. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the official gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulties:

Provided that, no such orders shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be, after it is made, be laid before the Legislative Assembly of the State.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.